जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र.सं.	विन्दु	विन्दुवार सूचना
1	अपने सगठंन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ,अनुसूचित जाति / सामान्य जाति के परिवारों को उनकी पुत्री के विवाह एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहातया/ पुरिवार के कमाऊ के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर शासन से निर्धारित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को पेंशन देकर उनका भरण पोषण करना । अनु0जाति/ सामान्य जाति के छात्रों को शासन से निर्धारित दरों एवं शर्तो अन्तर्गत सभी कक्षाओं में छात्रवृत्ति देकर शिक्षा ग्रहण करने में सहयोग प्रदान करना । अनु0जाति के व्यक्तियों का उत्पीडन होने पर आर्थिक सहातया प्रदान करना आदि योजना संचालित की जाती है,जिनकी मासिक प्रगति उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाती है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य	अधिकारी/ कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	जिला समाज कल्याण अधिकारी / समाज कल्याण सुपरवाईजर लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यकम का संचालन निरीक्षण /पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय विकास भवन बिजनौर में स्थित है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान ।	जनपद स्तर जिला समाज कल्याण अधिकारी के नियंत्रण में सभी कर्मचारी ाासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम ,निनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख	जिला समाज कल्याण अधिकारी / समाज कल्याण सुपरवाईजर लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। जिनके द्वारा शासनादेश एवं पूर्व धोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण,जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है,नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	निदेशक, समाज कल्याण विभागाध्यक्ष है,जिसके निर्देशन में तथा जिला स्तर जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य किये जाते है। शादी एवं बीमारी अनुदान योजना में माननीय सांसदों/विधायकों की समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित है। समिति के परामर्श / अनुमोदन के उपरान्त ही सहायता दी जाती है।
8	बोर्ड,परिषदों ,समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो,परिषदों समितियों तथ अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।	जनपद स्तर पर अनु0जाति / सामान्य जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के इलाज योजना के लाभार्थियों के चयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है।समिति के परामर्श /अनुमोदन के उपरान्त ही सहायता प्रदान की जाती है।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका,	राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिश्चित है तथा शासन के निर्देशों का पालन करते है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	अधिकारी / कर्मचारियों के वेतन आदि की सूचना निदेशक,समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित की जाती है।
11	सभी योजनाओं,प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिर्पोटों की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट,	जिला योजना, राज्य योजना ,आयोजनागत,आयोनत्तर पक्ष में विभाग से आवंटित किया जाता है,जिसके व्यय की सूचना मासिक विभाग को प्रेषित की जाती है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है	विभागीय योजना के अन्तर्गत जिन लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है,उनके अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखे जाते है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों,अनुज्ञापतों या प्राधिकारों के प्राप्त कर्ताओं की विशिष्टयॉ	विभागीय योजना का प्रचार–प्रसार विकास खण्ड स्तर पर होनी वाली बैठकों में किया जाता है।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे ,जो उपलब्ध हो,या उनके द्वारा धारित हो,	वर्ष 2007–08 से छात्रवृत्ति की नवीन प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की सूचना इन्टरनेट पर उपलब्ध है।

15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयॉ ,जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के ,यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है,तो कार्यकरण घन्टे सम्मिलित है,	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नही है।
16	जन सूचना अधिकारियों के नम,पदनाम और अन्य विशिष्टयॉ	जन सूचना अधिकारी, बी0के0 सैनी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं मण्डलीय उपनिदेशक समाज कल्याण अपीलीय प्राधिकारी (अपीलेट एथारिटी) नामित किया गया है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बिजनौर